भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3224

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

बिहार में एमएसएमई के लिए संभारतंत्र संबंधी सहायता

3224. डॉ. मोहम्मद जावेद :
डॉ. आलोक कुमार सुमन :
श्री अशोक कुमार यादव :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वर्तमान स्थिति का क्षेत्र-वार और सृजित रोजगार का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में विशेष रूप से पिछड़े और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय, ढांचागत और बाजार संबंधी चुनौतियां क्या हैं;

(ग) क्या गोपालगंज और अन्य कम विकसित जिलों को केंद्रित सहायता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों के तहत कार्यान्वित योजनाओं और प्रोत्साहनों का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें ऋण संवितरण, सब्सिडी, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल है;

(ङ) क्या सरकार ने बिहार में एमएसएमई की वृद्धि, स्थिरता और रोजगार पर इन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का क्षेत्रीय असंतुलन, औद्योगिक समूहों (clusters) की कमी, ऋण संबंधी बाधाओं और बुनियादी ढांचे के अंतराल को दूर करने के लिए बिहार में एमएसएमई हेतु किसी विशेष पैकेज या लक्षित हस्तक्षेप का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान, बिहार राज्य में सृजित रोजगार सहित पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षेत्र-वार, जिला-वार संख्या **अनुबंध-I** में है।

(ख) से (च) : एमएसएमई क्षेत्र में निजी उद्यम शामिल हैं और इस क्षेत्र में निवेश स्वयं उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं। उद्योगों का संवर्धन और विकास राज्य का विषय है। केंद्र सरकार बिहार राज्य सहित देश में एमएसएमई के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई के कार्य निष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन स्कीम (रैंप), पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई चैम्पियंस स्कीम आदि के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान कुछ स्कीमों और पहलों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत पाँच वर्षों के दौरान बिहार राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को संवितरित ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वित्त वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	20,277.00	13,729.71	24,481.52	33,966.04	47,101.21

(ii) एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है। यह एक केंद्रीय स्कीम है जो गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में संभावित उद्यमियों की सहायता करने के द्वारा मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन की ओर लक्ष्यांकित है। पीएमईजीपी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों की सहायता करता है। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का योगदान कुल परियोजना लागत का 5% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है। बिहार राज्य और गोपालगंज जिला में विगत 3 वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

	वित्त वर्ष 2022-23		**वित्त वर्ष 2023-24**		**वित्त वर्ष 2024-25**	
	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	**मार्जिन मनी (लाख रुपए में)**	**सूक्ष्म उद्यमों की संख्या**	**मार्जिन मनी (लाख रुपए में)**	**सूक्ष्म उद्यमों की संख्या**	**मार्जिन मनी (लाख रुपए में)**
बिहार राज्य में कुल	4,459	12,123.20	6,837	19,175.75	5,035	15,045.14
गोपालगंज जिला	134	495.75	184	610.93	135	449.11

(iii) एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है और सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा एमएसई को बिना किसी कोलेटरल सुरक्षा और तृतीय पक्ष गारंटी के प्रदान किए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। सीजीएस के तहत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10.0 करोड़ रुपए तक है। बिहार राज्य में सीजीएस के तहत एमएसई को प्रदान की गई क्रेडिट गारंटियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

वित्त वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	22,317	24,217	42,360	1,13,262	2,21,458
स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	1,086	1,661	3,468	8,582	14,120

(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय क्लस्टरों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों/क्षेत्रों/फ्लेटेड फैक्टरी परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करती है, स्कीम के तहत प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

एमएसई-सीडीपी स्कीम के अंतर्गत बिहार के पारेब में पीतल और कांस्य धातु के बर्तनों के क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, धरमपुर (दरभंगा), सहरसा, मुरलीगंज (मधेपुरा) और गोगरी (खगड़िया) में औद्योगिक एस्टेटों का उन्नयन कार्य जारी है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3224, जिसका उत्तर दिनांक 12.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बिहार राज्य में विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान उद्यम के तहत जिला-वार पंजीकृत कुल एमएसएमई और सृजित रोजगार

क्र. सं.	जिला	विनिर्माण	सेवाएं	व्यापार	कुल	रोजगार
1	अररिया	6,547	4,391	18,208	29,146	2,59,885
2	अरवल	1,566	1,083	3,486	6,135	29,356
3	औरंगाबाद	5,988	5,354	13,805	25,147	2,37,777
4	बांका	5,066	4,535	9,785	19,386	88,628
5	बेगूसराय	8,854	7,789	18,271	34,914	2,24,314
6	भागलपुर	12,234	8,731	21,910	42,875	2,66,645
7	भोजपुर	4,993	5,721	11,963	22,677	1,22,875
8	बक्सर	3,914	3,563	8,255	15,732	78,077
9	दरभंगा	8,495	8,949	20,189	37,633	2,12,257
10	गया	14,075	9,674	23,059	46,808	3,27,500
11	गोपालगंज	7,773	4,181	12,506	24,460	1,84,872
12	जमुई	4,225	3,172	8,178	15,575	75,260
13	जहानाबाद	2,385	2,066	5,638	10,089	65,795
14	कैमूर (भभुआ)	3,542	2,594	6,753	12,889	68,994
15	कटिहार	6,454	7,413	17,465	31,332	2,39,338
16	खगरिया	4,056	2,936	8,962	15,954	81,756
17	किशनगंज	3,220	3,931	7,587	14,738	1,43,559
18	लखीसराय	2,358	1,723	4,591	8,672	46,893
19	मधेपुरा	4,133	3,883	11,540	19,556	2,27,410
20	मधुबनी	9,153	8,034	20,386	37,573	2,59,324
21	मुंगेर	3,795	3,054	7,830	14,679	76,062
22	मुजफ्फरपुर	14,557	15,039	35,425	65,021	4,65,876
23	नालन्दा	6,972	7,144	14,473	28,589	1,47,804
24	नवादा	5,895	4,245	10,489	20,629	1,52,060
25	पश्चिम चंपारण	8,189	7,481	19,586	35,256	2,46,131
26	पटना	25,058	35,848	65,078	1,25,984	7,53,646
27	पूर्वी चंपारण	12,369	9,913	34,860	57,142	3,55,472
28	पूर्णिया	8,909	9,407	24,550	42,866	3,78,622
29	रोहतास	6,689	6,784	15,747	29,220	1,94,543
30	सहरसा	4,847	3,998	11,755	20,600	2,15,684
31	समस्तीपुर	10,693	10,119	26,543	47,355	3,16,320
32	सारण	8,266	6,771	18,302	33,339	2,13,884
33	शेखपुरा	1,683	1,597	3,587	6,867	33,741
34	शिवहर	1,955	1,468	3,011	6,434	31,803
35	सीतामढ़ी	7,945	6,413	16,513	30,871	1,93,755
36	सिवान	8,188	6,562	14,930	29,680	1,79,769
37	सुपौल	5,277	4,102	16,149	25,528	1,67,737
38	वैशाली	10,261	9,842	22,702	42,805	3,38,048
	कुल:-	**2,70,579**	**2,49,510**	**6,14,067**	**11,34,156**	**77,01,472**